न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/134

1. रंगलाल आयु 57 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. नन्दलाल आयु 47 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. देवीलाल आयु 32 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. सीता बाई आयु 60 वर्ष पुत्री बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 2511 रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 2183 मिन, 2184 मि व 2199 मिन से बने हैं । खसरा संख्या 2199 मिन जो कि गत खसरा नम्बर थे में से 13 बीघा भूमि दिनांक 09.07.1971 को आवंटन सलाहकार समिति हिण्डोली द्वारा वादीगण के पिता को आवंटन की गई थी और आवंटन के बाद से वादीगण के पिता उक्त भूमि पर अपने जीवनकाल में काबिज काश्त रहे । आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 09.07.1971 को उक्त भूमि बरधा आत्मज मोतीलाल जाति रेगर निवासी हिण्डोली को काश्त हेतु आवंटन की थी और उक्त आवंटन आदेश से उक्त भूमि को बरधा के नाम आवंटन कर गैर खातेदारी के आदेश

दिये गये थे । वादीगण ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाया है । राजस्व रिकॉर्ड में आवंटन आदेश का अमल दरामद नहीं हुआ है जबकि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् आवंटी को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदत्त हो जाते हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादीगण के पिता बरधा के नाम आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2199 रकबा 13 बीघा जिसके वर्तमान नम्बर 2511 बने हैं उक्त खसरा नम्बर 2511 में से 13 बीघा भूमि पर वादीगण के पिताजी की मृत्यु हो जाने से वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के कॉलम में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे । वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करने, कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.07.2017 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.07.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट के पिता को खसरा नम्बर 2199 में से 13 बीघा भूमि दिनांक 09.07.1971 को काश्त हेतु गैर खातेदारी हक पर अलोट की गई थी । उक्त आवंटन आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने का दायत्वि राजस्व कर्मचारियों का था लेकिन अपीलान्ट के पिता के नाम आवंटित भूमि खसरा नम्बर 2199 मिन से बने नये खसरा नम्बर 2511 पर अमल करने का निवेदन किया लेकिन न तो अमल किया है और न र्ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया है । खसरा नम्बर 2511 एक बडा रकबा है जिसका कुल रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा है उक्त खसरा नम्बर 2511 में अन्य कई व्यक्तियों के नाम भूमि आवंटित हुई है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया गया है जो जमाबन्दी संख्या 2071 से 2074 की खतौनी संख्या 195 में खातेदारान घासीनाथ, धन्ना नाथ वगै0 के नाम दर्ज है जिसके बाबत् अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है । प्रस्तुत वाद में दिनांक 30.04.2017 को वादी अपीलान्ट रंगलाल का साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से जिरह की जानी चाहिए थी लेकिन वादी से कोई जिरह नहीं की गई जिससे वादी का बयान अखण्डित रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट को कैम्प में बताया गया था कि उक्त प्रकरण में वादी की शेष साक्ष्य पेश होनी है व वादी से जिरह भी होनी है पत्रावली साक्ष्य वादी व जिरह में चली रही है इसलिए उक्त प्रकरण में आगे विचारण न्यायालय में किया जावेगा और वादी के अभिभाषक द्वारा पत्रावली में आगामी पेशी देने का अनुरोध किया तो कैम्प समाप्ति के बाद सभी पत्रावलियों की तारीख पेशी की सूची नोटिस बोर्ड पर लगाने का आश्वासन दिया लेकिन उक्त प्रकरण की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा नहीं हुई तब अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जानकारी करने पर पता चला कि उक्त प्रकरण का कैम्प में निस्तारण कर दिया

गया है जिस पर दिनांक 29.12.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने दौराने बहस कुछ रसीदों की फोटो प्रतियॉ पेश की है जो शामिल मिसल की गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2199 मिन में से 13 बीघा भूमि आवंटन सलाहकार समिति हिण्डोली द्वारा दिनांक 09.07.1971 को वादीगण अपीलान्ट के पिता बरधा के नाम आवंटित की थी । आवंटित आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 2511 बने हैं जिस पर बरधा ताजिन्दगी काबिज काश्त रहे हैं । आवंटन के बाद अपीलान्ट वादी के पिता ने उबड–खाबड से समतल करके काफी पैसा लगाकर उक्त भूमि को कृषि उपज योग्य बनाया । बरधा की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद वादी अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट वादी के पिता एवं वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुई है। अपीलान्ट वादी के पिता ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति थे जो आवंटन का रिकॉर्ड में अमल करने के सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही नहीं समझते थे । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावा आने के बाद तनकीयात कायम किये बिना कोर्ट कैम्प में रखते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधि – विरूद्ध है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है, तनकीयात कायम नहीं की गई हैं । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2014 पेज 295 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक है । अपीलान्ट ने खातेदारी एवं गैर खातेदारी का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है । आराजी गैर मु0 बरडा है, झाड–झकांड वाले वन चारागाह हेतु दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा का दावा वादग्रस्त आराजी के आवंटन एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर पेश किया है । पत्रावली पर नकल जमाबन्दी

संवत् 2071 से 2074 की प्रति संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2816 रकबा 09 बीघा 01 बिस्वा भूमि झाड–झखाड वाले वन चारागाह हेतु दर्ज है और नामान्तरकरण संख्या 2610 दिनांक 23.06.2016 एवं नामान्तरकरण संख्या 2611 दिनांक 29.06.2016 का अंकन किया गया है । इसके अलावा एक आवंटन आदेश की फोटो प्रति संलग्न की गई है जो कि प्रमाणित नहीं है वरन् फोटो प्रति है और स्पष्ट रूप से पठनीय भी नहीं है और यह आवंटन आदेश पन्ना पुत्र रामा रैगर के नाम खसरा नम्बर 2816 की 02 बीघा का किया जाना प्रतीत होता है । एक आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति भी पत्रावली पर संलग्न है जिसमें बरधा पुत्र मोती को खसरा नम्बर 2199 में से 13 बीघा आराजी आवंटन किये जाने का अंकन है ।

13. पत्रावली में सलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श– 1 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2511 रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा भूमि सिवायचक खाता झाड–झंखाड वाले वन (चारागाह हेतु) दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2183 मिन, 2184 मिन, 2188 मिन के हाल खसरा नम्बर 2511 रकबा 40 बीघा 11 बिस्वा कायम हुए हैं ।

14. आवंटी ने गैर खातेदारी की जमाबन्दी की कोई नकल पेश नहीं की है । यदि अपीलान्ट वादी ऐसा महसूस करते हैं कि वादग्रस्त आराजी उनको आवंटित हुई थी और उस पर गैर खातेदारी अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के वो अधिकारी हैं तो उन्हें आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । आवंटन अधिकारी विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वांछित कार्यवाही कर सकते हैं । आवंटन आदेश के आधार पर हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है ।

15. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में जो वादग्रस्त आराजी बताते हैं उसकी किस्म झाड–झंखाड वाले वन चारागाह हेतु दर्ज है जिस पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं सझते हैं।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 बहाल रखा जाता है ।

17. निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 11.03.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 11.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

11/3/19

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोट

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/134

1. रंगलाल आयु 57 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जि बून्दी ।
2. नन्दलाल आयु 47 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिल बून्दी ।
3. देवीलाल आयु 32 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिल बून्दी ।
4. सीता बाई आयु 60 वर्ष पुत्री बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिल बून्दी ।

––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।

––प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 146/दावा/2016

1. रंगलाल आयु 57 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी
2. नन्दलाल आयु 47 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. देवीलाल आयु 32 वर्ष आत्मज बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला
4. सीता बाई आयु 60 वर्ष पुत्री बरधा जाति रेगर निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

––वादी

काश्तकार थे जिनको काश्त हेतुं गैर खातेदारी पर अलोट की ...

आवंटन के बाद ...